



महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: एम.जे.पी.रू.वि./कू.स.का./2022/372

दिनांक: 06.02.2022

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय परिसर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महा0ज्यो0फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय: कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया संलग्न उपर्युक्त विषयक श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-202/2022-सीएक्स-3 दिनांक 05 फरवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

शासन द्वारा निर्गत निर्देश निम्नवत है-

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत अब इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर कक्षा-9 से उच्चतर यथा-कक्षा-9, 10, 11 व 12 व समस्त डिग्री कालेज कोरोना गाइडलाइन्स यथा-मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय-समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अब दिनांक 07.02.2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एवं सम्बद्ध महाविद्यालय उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत संचालित होंगे।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. मीडिया प्रभारी।
4. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/परीक्षा)
5. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6. प्रभारी, वेबसाइट।
7. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव।

कुलसचिव

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 5 फरवरी, 2022


विषय:-कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-100/2022-सीएक्स-3, दिनांक 16.01.2022, आदेश संख्या-132/2022-सीएक्स-3, दिनांक 22.01.2022 तथा आदेश संख्या-164/2022-सीएक्स-3, दिनांक 28.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 06.02.2022 तक पूर्णतया बन्द रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आन लाइन कक्षाएँ जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत अब इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर कक्षा-9 से उच्चतर यथा- कक्षा-9, 10, 11 व 12 व समस्त डिग्री कालेज कोरोना गाइडलाइन्स यथा-मार्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय-समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अब दिनांक 07.02.2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे।

भवदीय,




(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 202 (1)/2022-सीएक्स-3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।